संख्या-28/2018/694/71-3-2018-जी-158/2017टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 15 अक्टूबर, 2018

विषय:- केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कालेज बस्ती, बहराईच, फैजाबाद, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर तथा निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर में गैर शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत प्रधानाचार्य के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-1/2018/2489, दिनांक 08-08-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कालेज बस्ती, बहराइच, फैजाबाद, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर तथा निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कालेज, जौनपुर में एम0सी0आई0 मानकानुसार प्रथम वर्ष एम0बी0बी0एस0 एल0ओ0पी0 हेतु गैर शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में प्रधानाचार्य का 01-01 पद (कुल 06 पद), को अस्थायी रूप से दिनांक 28-02-2019 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाए, को निम्नांकित शर्तों के अधीन सृजित किए जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. उक्त पदों पर भर्ती एम0सी0आई0 मानकों तथा कार्यात्मक/वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप की जाए।
2. सृजित पदों को भरे जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एम0सी0आई0 की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।
3. उक्त पदों को तभी भरा जायेगा जब मेडिकल कालेज संचालित होने की स्थिति में हो जाए।
4. पदों के पदनाम, वेतनमान आदि का निर्धारण राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रश्नगत पदों के पदनाम, वेतनमान आदि के सम्बन्ध में, जो व्यवस्था दी गयी है, के अनुसार ही रखा जाए।
5. उक्त के अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति विभागीय नियमावली एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा- के सुसंगत वित्तीय मदों के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-2022/दस-2018, दिनॉक 28 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-28/2018/694(1)/71-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर/अम्बेडकर नगर/ आगरा/ कानपुर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. नियोजन-अनुभाग-4
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।